

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली

पीठासीन अधिकारी : श्री जितेंद्र ओझा, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 154/16 (वाद)

1. श्री मांगीलाल पिता देवा मेघवाल निवासी निम्बोलो का गुडा तह. मावली।
2. श्री सवा पिता देवा मेघवाल निवासी निम्बोलो का गुडा तह. मावली।
3. श्रीमती नारायणीबाई पिता देवा पत्नी पेमा मेघवाल निवासी घासा तह. मावली।
4. श्रीमती प्रताबीबाई पिता देवा पत्नी फता मेघवाल निवासी दरीबा तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द।
.....वादीगण

बनाम

1. श्री चेना पिता देवा मेघवाल निवासी निम्बोलो का गुडा हाल नूरडा तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.02.2018 को जितेंद्र ओझा, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा निम्बोलों का गुडा पटवार हल्का घासा की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.स.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	लगान
1	मांगीलाल, सवा, नारायणीबाई पिता देवा मेघवाल सा. देह खातेदार	1296 1393 5858 / 139मी.	1.03 1.16 2.06	1.49 0.54 0.70
	योग	किता 3	5.05	2.73
2	चेना पिता देवा मेघवाल सा. देह खातेदार	1294 1295 1367 5858 / 1393 / 1	0.13 0.01 0.14 2.01	0.78 0.00 0.21 0.61
	योग	किता 3	3.09	1.60

नोट—उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जितेंद्र ओझा)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर मावली